

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
STATE AUDIT DEPARTMENT,
SHIMLA-171009

Dated

2022

17 SEP 2022

website: <http://lad.hp.gov.in>

Applications are hereby invited on prescribed application form from the desirous and eligible candidates belonging to Persons with Disabilities for recruitment to the following post on contract basis in Himachal Pradesh State Audit Department, Shimla-171009:-

Name of Post	Number of Posts		Contractual Emoluments	Remarks
Junior Auditor Class-III (Non Gazetted) (On contract basis)	Total =02 (Two) UR (PwD)		Rs. 23100/- (60% of the first cell of Level-11 i.e. 60% of Rs 38500/-)	Physical requirements of the applicant for the post with the help of aid & appliances are as under:- Sitting, standing, reading and writing, hearing, seeing, walking, communication.
	Reserved for			
	Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy	01		
	Low vision	01		

Important instructions:-

1 Minimum qualifications required:-

(i) Essential	IInd Class Graduate in Commerce or Economics or Business Administration from a recognized University.
(ii) Desirable	Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

2 Other eligibility conditions:-

- The applicant should possess minimum 40% permanent Disability Certificate of concerned disability issued by the competent Medical Board i.e. District Medical Board or above.
- The age of candidate should be between 18 and 45 years, however upper age limit is relaxable as per H.P. Government rules/instructions issued from time to time.

(iii) The benefit of reservation will be admissible only to the candidates, who are bonafide residents of Himachal Pradesh.

3 How to apply:-

The prescribed application form duly filled alongwith requisite documents be sent through registered post to the following address:-

**The Director,
Himachal Pradesh State Audit Department,
Block No. 38, SDA Complex Kasumpti,
Shimla-171009.**

4 Last Date:-

The applications along with relevant supporting documents should reach in the office of the Director, Himachal Pradesh State Audit Department, Block No. 38, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009 **on or before 20.10.2022** positively. The incomplete applications and the applications received after the last date shall not be entertained but rejected summarily.

5 Selection Procedure:-

On the basis of acquiring minimum qualification as mentioned at Para (1) and as per marks distribution conveyed by the Department of SJ&E letter No.SJE-B-B(15)-03/2014-I, dated 28.08.2017.

6 Disputes, if any, shall be subject to Court jurisdiction at Shimla.

Note:-

The decision of the Department regarding eligibility etc. of a candidate for selection shall be final and no correspondence/personal enquiries will be entertained.

Onus of proving that a candidate has acquired essential qualifications(s) by the stipulated date is on the candidate and in the absence of proof to the contrary, the date as mentioned on the face of certificate/degree or the date of issue of certificate/degree shall be taken as date of acquiring essential qualification. No extra opportunity shall be provided to the candidates to produce appropriate certificates at the time of evaluation.

Other Conditions:-

- 1 All candidates, whether in Government Service or Government owned Industrial or Public Enterprises or other similar organizations or in private employment should submit their applications directly to the Department.
- 2 In Government service (regular service) candidates may apply to this Department with information to their Head of Departments/ Employer for issuing NOC. Any candidate, who is in regular Government Service or Government owned Industrial Service, will not be evaluated unless he/she produces NOC from the concerned employer.
- 3 Casual/adhoc/daily rated/work charged/contractual employees do not need to produce NOC from their employer.
- 4 The candidates applying for the post(s) should ensure that they fulfill all the eligibility conditions to attend evaluation process. Their admission for evaluation will be purely

provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or during evaluation process, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions; their candidature will be cancelled by the Department.

- 5 Date for determining eligibility of all candidates in respect of essential qualification(s), age etc. shall be **01.01.2022**.
- 6 Furnishing of false information and documents or suppression of any factual information in the application form would entail disqualification. If the fact that false information/documents(s) has been furnished or that there has been suppression of any factual information in the application; comes to the notice at any time during the service of a person, his/her service would be liable to be terminated.
- 7 The applicant shall paste his/her photograph in the application form.

Disqualifications for admission to evaluation process:-

No candidate will be eligible for admission to the evaluation process:-

- a) If he/she has been dismissed from any previous service;
- b) If he/she has been convicted of any offence involving moral turpitude or has been permanently debarred/disqualified from appearing in any examination or selection;
- c) If he/she is found either directly or indirectly influencing the selection process in any manner;
- d) If a candidate has more than permissible living spouse; or
- e) If he/she is an un-discharged insolvent.



(Amarjeet Singh) IAS,
Director,
H.P. State Audit Department,
Shimla-171009
Phone No. 0177-2621894

....

Evaluation Form
Himachal Pradesh State Audit Department, Shimla-171009.
Criteria of Evaluation for 30 marks for the post of Junior Auditor (Class-III)
(To be filled by candidate)

Sr. No.	Remarks	Marks	Marks claimed by the candidate
1	Weightage for essential educational qualification as per the R&P Rules (% of marks obtained in educational qualification prescribed for the post would be divided by 10)	10 (ten)	
2	Weightage for maximum disabilities as certificate by the Medical Board/Authorities. (40% to 59%) = 2 marks. (60% to 79%) = 4 marks. (80% to 100%) = 6 marks.	6 (six)	
3	Weightage for maximum additional qualification (% of marks obtained would be divided by 25)	4 (four)	
4	Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be.	1 (one)	
5	Land less family/family having land less than 1 (one) Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority.	1 (one)	
6	Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi Government.	1 (one)	
7	BPL family having family annual income (from all sources) below Rs 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time.	2 (two)	
8	Widow/divorced/destitute/single woman.	1 (one)	
9	Single daughter/Orphan.	1 (one)	
10	Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution.	1 (one)	
11	Experience up to a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.4 mark only for each completed year)	2 (two)	
Total		30 (Thirty)	

Note:-Wherever marks are claimed, candidate is required to attach attested/self-attested copy of marks sheet/certificate and to show the original to Department when called to do so.

Encls:-

- | | |
|--------|--------|
| 1..... | 2..... |
| 3..... | 4..... |
| 5..... | 6..... |

Signature of the Candidate

Name _____

Address _____

**Himachal Pradesh State Audit Department, Block No. 38, SDA Complex,
Kasumpti, Shimla-171009.**

Application Form

						Self Attested latest colour photograph to be pasted
1.	Name of the Applicant					
2.	Father's/Husband's Name					
3.	Date of Birth					
4.	State of Domicile					
5.	Nationality					
6.	Type of disability					
7.	Percentage of disability					
8.	Particulars of Disability					
	Certificate issuing authority					
9.	Educational Qualification					
	Examination	Name of University/Board	Subjects	Marks obtained/Total Marks	%age	Year of passing
	Matriculation					
	10+2					
	Graduation					
10.	Permanent Address					
11.	Correspondence address					
12.	Mobile Number & e-Mail ID					

Note:- The copies of following certificates/documents may be attached with this application form:-

- 1. Photocopy of Matriculation Certificate**
- 2. Photocopy of 10+2 Certificate**
- 3. Photocopy of Graduation Certificate**
- 4. Photocopy of concerned Disability (Low Vision or Locomotor) Certificate**
- 5. Photocopy of State of Domicile Certificate**
- 6. Duly filled up enclosed Evaluation form**
- 7. Photocopies of other Certificates as required**

(Signature of the applicant)

Name in block letters

Date-

Place-

**हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009.**

दिनांक

2022

117 SEP 2022

वेबसाईट: <http://lad.hp.gov.in>

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 में अनुबन्ध आधार पर निम्नलिखित पद पर भर्ती हेतु इच्छुक एवं योग्य दिव्यांगजन उम्मीदवारों से निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं:-

पद का नाम	पदों की संख्या		संविदात्मक वेतन	टिप्पणी
कनिष्ठ लेखा परीक्षक, श्रेणी-III (अराजपत्रित) (अनुबन्ध आधार पर)	कुल = 02 (दो) अनारक्षित (दिव्यांगजन)		₹ 23100/- प्रति माह (लैवल-11 के प्रथम कोष्ठ का 60% अर्थात् ₹ 38500 का 60%)	पद के लिए आवेदक की शारीरिक आवश्यकताएँ बनावटी उपकरणों की सहायता से निम्नलिखित हैं:- बैठना, खड़े होना, पढ़ना और लिखना, सुनना, देखना, चलना, वार्तालाप करना।
	चलन दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्प्रोषण भी है।	01		
	निम्न दृष्टि	01		

महत्वपूर्ण निर्देश:-

1 आवश्यक योग्यता:-

(क) अनिवार्य:-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या व्यवसाय प्रबन्धन (Business Administration) में द्वितीय श्रेणी में स्नातक।
(ख) वांछनीय:-	हिमालय प्रदेश के रीति रिवाजों, शिष्टाचार और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान असाधारण स्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

2 पात्रता से संबन्धित अन्य शर्तें:-

- (क) आवेदक के पास संबंधित दिव्यांगता का न्यूनतम 40% स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए जो सक्षम मेडिकल बोर्ड अर्थात् जिला मेडिकल बोर्ड या उससे ऊपर द्वारा जारी किया गया हो।
- (ख) आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-2 पर जारी साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है।
- (ग) आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को स्वीकार्य होगा जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हैं।

3 आवेदन कैसे करें:-

विधिवत रूप से भरे गए निर्धारित आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों सहित पंजीकृत डाक के माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेजना होगा:-

निदेशक,

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

ब्लॉक नं० 38, एस०डी०ए० कम्पलैक्स, कसुम्पटी,

शिमला-171009

4 अन्तिम तिथि:-

विधिवत रूप से भरा गया आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, ब्लॉक नं० 38, एस०डी०ए० कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009 के कार्यालय में दिनांक 20.10.2022 या उससे पहले प्राप्त होना चाहिए। अधूरे आवेदनों एवं अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा बल्कि उन्हें रद्द कर दिया जायेगा।

5 चयन प्रक्रिया:-

पैरा (1) में वर्णित न्यूनतम अर्हता तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या SJE-B-B(15)-03/2014-I, दिनांक 28.08.2017 द्वारा निर्धारित अंक वितरण के आधार पर।

6 विवाद, यदि कोई हो, शिमला में न्यायालय क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

ध्यान दें:-

चयन के लिए उम्मीदवार की पात्रता आदि के सम्बन्ध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा और कोई भी पत्राचार/व्यक्तिगत पूछताछ मान्य नहीं होगी।

यह साबित करने का दायित्व कि एक उम्मीदवार ने निर्धारित तिथि से आवश्यक योग्यता प्राप्त की है, उम्मीदवार पर होगा और सबूत की अनुपस्थिति में, प्रमाण पत्र/डिग्री या प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख के अनुसार उल्लेखित तिथि/डिग्री आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की तारीख के रूप में लिया जाएगा। मूल्यांकन के समय उपयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

अन्य शर्तें:-

- 1 सभी उम्मीदवारों, चाहे वह सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या सार्वजनिक उद्यमों या अन्य समान संगठनों में या निजी रोजगार में हो, को अपना आवेदन सीधे विभाग को जमा करना होगा।
- 2 सरकारी सेवा (नियमित सेवा) में उम्मीदवार विभाग प्रमुख/नियोक्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की सूचना के साथ आवेदन कर सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार जो नियमित सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्व वाली औद्योगिक सेवा में है, का मूल्यांकन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सम्बन्धित नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते।
- 3 आकस्मिक/अस्थायी/दैनिक रूप में कार्यरत/वर्क चार्ज्ड/अनुबन्धित कर्मचारियों को सम्बन्धित नियोक्ता से एन०ओ०सी० लाने की आवश्यकता नहीं है।

- 4 आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं। निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन मूल्यांकन के लिए उनका प्रवेश पूरी तरह से अस्थाई होगा। यदि मूल्यांकन प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी समय पर यह पाया जाता है कि वह पात्रता शर्तों में से किसी को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी विभाग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।
- 5 आवश्यक योग्यता, आयु आदि के सम्बंध में सभी उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने की तिथि 01.01.2022 होगी।
- 6 आवेदन पत्र में किसी भी तथ्यात्मक जानकारी की झूठी सूचना और दस्तावेजों का देना या कोई तथ्यात्मक जानकारी छुपाना पात्रता में अयोग्यता होगी। यदि सेवा के दौरान किसी भी समय नोटिस में आता है कि झूठी सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं या आवेदन में किसी भी तथ्यात्मक जानकारी का दमन हुआ है तो व्यक्ति की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
- 7 आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी फोटो लगानी होगी।

मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रवेश हेतु अपात्रता:—

कोई भी उम्मीदवार मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा:—

- (क) यदि उसे किसी भी पिछली सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है;
- (ख) यदि उसे नैतिक अशांति से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या किसी भी परीक्षा या चयन में भाग लेने से स्थाई रूप से वंचित/अयोग्य घोषित किया गया है;
- (ग) यदि वह किसी भी तरीके से चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।
- (घ) यदि किसी उम्मीदवार की अनुज्ञेय से अधिक जीवित पत्नी/पति है; या
- (ङ) यदि वह एक अमुक्त दिवालिया है।



(अमरजीत सिंह) भा0प्र0से0,

निदेशक,

हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

दूरभाष नं0- 0177-2621894.

.....

मूल्यांकन प्रपत्र

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009

**कनिष्ठ लेखा परीक्षक (वर्ग-III) के पद के लिए 30 अंकों के लिए मूल्यांकन का मापदंड
(उम्मीदवार द्वारा भरे जाने के लिए)**

क्र० सं०	30 अंकों के मापदंडों का विवरण	अंक	उम्मीदवार द्वारा दावा किये गये अंक
1	भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के लिए वेटेज (पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक प्रतिशतता को 10 से विभाजित किया जाएगा)	10 (दस)	
2	मेडिकल बोर्ड/प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित अधिकतम दिव्यांगता के लिए वेटेज। (40% से 59%) = 2 अंक (60% से 79%) = 4 अंक (80% से 100%) = 6 अंक	6 (छः)	
3	अधिकतम अतिरिक्त योग्यता के लिए वेटेज (प्राप्त अंक प्रतिशतता को 25 से विभाजित किया जाएगा)	4 (चार)	
4	यदि अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित हो।	1 (एक)	
5	भूमिहीन परिवार/परिवार के पास 1 हैक्टेयर से कम भूमि जोकि सम्बन्धित राजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।	1 (एक)	
6	गैर-रोजगार प्रमाण पत्र इस आशय के साथ कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है।	1 (एक)	
7	बी०पी०एल० परिवार के पास पारिवारिक वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) ₹ 40000 से कम या सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुसार।	2 (दो)	
8	विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/एकल महिला।	1 (एक)	
9	एकल बेटा/अनाथ।	1 (एक)	
10	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम छः महीने की अवधि का आवेदित पद से सम्बन्धित प्रशिक्षण	1 (एक)	
11	सरकारी/अर्धसरकारी संस्थान में पद से सम्बन्धित अधिकतम 5 वर्षों का अनुभव। (0.4 अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए)	2 (दो)	
कुल		30 (तीस)	

नोट:- जहाँ भी अंकों का दावा किया गया हो, उम्मीदवार को अंक पत्र/प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति/स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी और बुलाये जाने पर मूल प्रमाण पत्र विभाग को दिखाना होगा।

अनुलग्नक:-

- | | |
|--------|--------|
| 1..... | 2..... |
| 3..... | 4..... |
| 5..... | 6..... |

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम _____

पता _____

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, ब्लॉक नं० 38, एस०डी०ए० कम्प्लैक्स,
कसुम्पटी, शिमला-171009

आवेदन पत्र

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>स्व अभिप्रमाणित नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ चिपकाया जाए</p> </div>						
1.	आवेदक का नाम					
2.	पिता/पति का नाम					
3.	जन्म तिथि					
4.	अधिवास राज्य					
5.	राष्ट्रीयता					
6.	दिव्यांगता का प्रकार					
7.	दिव्यांगता की प्रतिशतता					
8.	दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी					
9.	शैक्षणिक योग्यता					
	परीक्षा	विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	विषय	प्राप्त अंक/कुल अंक	प्रतिशतता	उत्तीर्ण होने का वर्ष
	मैट्रिक परीक्षा					
	10+2					
	स्नातक					
10.	स्थायी पता					
11.	पत्राचार हेतु पता					
12.	मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी					

नोट:- निम्नलिखित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की प्रतियां इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी:-

1. मैट्रिक प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
2. 10+2 प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
3. स्नातक प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
4. निम्न दृष्टि (Low Vision) अथवा चलन (Locomotor) दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
5. अधिवास राज्य (State of Domicile) प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
6. विधिवत् भरा हुआ मूल्यांकन प्रपत्र।
7. अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)
नाम _____

दिनांक-

स्थान-